

प्रेस नोट

जनपद – संतकबीरनगर

दिनांक 19.04.2026

शान्ति भंग (170/126/135 बीएनएसएस) में 20 अभियुक्त गिरफ्तार

- थाना कोतवाली खलीलाबाद पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना धनघटा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना महुली पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 07 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- थाना बखिरा पुलिस द्वारा 170 / 126 / 135 बीएनएसएस में 09 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 6886 द्वारा कार व मोटरसाइकिल आपस में टक्कर हो जाने के कारण दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों को भेजवाया गया अस्पताल- पीआरवी 6886 को थाना को० खलीलाबाद क्षेत्रांतर्गत कुर्थिया पेट्रोल पम्प कांटे से कालर द्वारा कार व मोटरसाइकिल का आमने-सामने टक्कर हो जाने से दुर्घटना में घायल 02 व्यक्तियों (01. खुशबु यादव पत्नी रामनाथ यादव निवासी मेहदिया थाना को० खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर 02.राजेश यादव पुत्र ओमप्रकाश पता-अज्ञात) के सम्बन्ध में सूचना दिया। सूचना मिलते ही पीआरवी कर्मियों द्वारा त्वरित गति से घटनास्थल पर पहुँचकर दुर्घटना में घायल उक्त दोनो व्यक्तियों को 108 एम्बुलेंस की सहायता से इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। घटना के सम्बन्ध में थाना को० खलीलाबाद को अवगत कराया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता व सूझबूझ से घायल व्यक्तियों को इलाज हेतु जिला अस्पताल भेजवाया गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- हे०का० राकेश कुमार, का० अमित कुशवाहा, हो०गा०चा० जय प्रकाश।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 228 वाहनों से 2,89,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया

आज दिनांक 19.04.2026 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रों में बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 228 वाहनों से 2,89,500 रु० सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

थाना दुधारा पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री संदीप कुमार मीना* के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर *श्री सुशील कुमार सिंह* के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी खलीलाबाद *श्री प्रियम राजशेखर पाण्डेय* के पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक थाना दुधारा *श्री अरविन्द शर्मा* के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति/वाहन व भ्रमण क्षेत्र के दौरान अभियुक्त नाम पता अख्तर हुसैन उर्फ शाहरुख पुत्र इशहाक निवासी परासी गनवरिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर को मु0अ0स0 157/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट में दुधारा पुलिस के पास से 01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा के साथ गिरफ्तार कर आज दिनांक 19.04.2026 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय व मानवाधिकार आयोग के आदेशों-निर्देशों का अक्षरः पालन करते हुए माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अख्तर हुसैन उर्फ शाहरुख पुत्र इशहाक निवासी परासी गनवरिया थाना बेलहरकला जनपद संतकबीरनगर।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0स0 157/2026 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

बरामदगी-

01 किलो 400 ग्राम अवैध गाँजा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त अख्तर हुसैन उर्फ शाहरुख-

01. मु0अ0सं0 1914/2017 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
02. मु0अ0सं0 1915/2017 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
03. मु0अ0सं0 304/2018 धारा 380,411 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
04. मु0अ0सं0 305/2018 धारा 379,411 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
05. मु0अ0सं0 310/2018 धारा 4/25 आयुध अधिनियम थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
06. मु0अ0सं0 321/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
07. मु0अ0सं0 451/2018 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।
08. मु0अ0सं0 35/2021 धारा 504,506 भादवि थाना दुधारा जनपद संतकबीरनगर।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल-

उ0नि0 श्री रामसूरत प्रसाद, का0 शोनू यादव, का0 अरविन्द गौड़।